न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 108 / 2017 राजस्व अपील

1. राजेन्द्र
2. बाबूलाल
3. बनवारी
4. धारासिंह

समस्त पिसरान तेजा जाति माली निवासी ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.10.2017 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 683 / 2017 बअनुवानी प्रकरण सरकार बनाम बनवारी वगैरह अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : श्री उम्मेदसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :–

दिनांकः08.01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नंबर 2493 रकबा 0.20 है0 पर कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 03.10.2017 पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम की सजा से दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 108 / 2017 राजस्व अपील

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नंबर 2493 रकबा 0.02 है0 पर कब्जा काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 03.10.2017 पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम के साथ सजा से दण्डित कर दिया गया। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट का किसी गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण नही होना तथा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 03.10.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वास्तविक अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर अपीलान्ट की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान कराया जाकर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक ०४ .01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा